न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 28/2025

शांतिलाल पिता देबीलाल धाकड निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ — अप्रार्थी

उपस्थित :— शांतिलाल धाकड
प्रार्थी स्वयं
तहसीलदार बेगूँ
भूमिधारी पैरोकार

आदेश दिंनाक :— 20.06.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज किये जाने।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा आवंलहेडा प.ह. आंवलहेडा में प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2078 में अंकित है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
(अ) 492	1834/1619मीन	0.1620
(ब) 563	1835/1619	0.4540

यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजीयात पर निरतंर निर्बाध रूप से काबीज हो काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी की कृषि आराजी पर आने जाने के लिये आराजी संख्या 92 मीन रकबा 0.3240 हैक्टर किस्म ढण्ड राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है लेकिन मौके पर प्रार्थी आराजी संख्या 92 के पूर्व से पश्चिम दिशा से होकर अपनी कृषि आराजी पर आ जा रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरणसंख्या एक में अंकित आराजी संख्या 1834/1619 मी रकबा 0.1620 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1835/1619 रकबा 0.4540 हैक्टर पर प्रार्थी आराजी संख्या 92 मी रकबा 0.3240 हैक्टर भूमि के पूर्व से पश्चिम दिशा से आ जा रहा है लेकिन राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 92 मीन की किस्म ढण्ड होकर सरकार भूमि है उक्त आराजी संख्या 92 मीन में से प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात पर आने जाने के लिये रास्ता दर्ज करवाना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी माननीय श्रीमान के आदेशानुसार राजस्व शुल्क जमा कराने को तेयार एवं तत्पर है।

यह कि मौके पर रास्ता बना हुआ होकर प्रार्थी पैत्रिक रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थी कभी भी अपनी कृषि आराजी पर आने जाने के अधिकारो से महरूम हो सकता है इसलिये प्रार्थी नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करा कर रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी व मौजूदा ऑनलाईन नक्शा संलग्न पेश है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना की कलम संख्या एक की उपकलम संख्या "अ—ब" मे अंकित आराजीयात पर मौजा आंवलहेडा की आराजी संख्या 92 मीन सरकारी भूमि किस्म ढण्ड के पूर्व से पश्चिम दिशा में 30 फीट रास्ता दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रकरण में तहसीलदार बेगूँ से रास्ते सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। प्रकरण में विपक्षी भूमिधारी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2024/505 दिनांक 17.06.2005 के साथ भू0अ0नि0 कादून्दा की रिपोर्ट मौका रिपोर्ट नक्शाट्रेस एवं रास्ते हेतु जमा किये जाने वाली राशि की डीएलसी अनुसार गणना रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकार की संलग्न प्राप्त हुई। जो निम्नानुसार है :—

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

1— प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम आवंलहेडा की आराजी संख्या 1834 / 1619 एवं आराजी संख्या 1835 / 1619 किता— 2 रकबा 0.6160 हैक्टर भूमि शातिलाल पुत्र देवीलाल धाकड निवासी आंवलेडा के नाम दर्ज रिकोर्ड होना अंकित किया।

2— उक्त आराजी में पहुंच हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी की उक्त आराजी में पहुंचने हेतु रास्ते की आवश्यकता है।

3— प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में पहुंच हेतु रास्ते के रूप में ग्राम आंवलहेडा की आराजी संख्या 92 किस्म ढण्ड बिलानाम रकाब 0.3240 हैक्टश्र मे से रकबा 78.75 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी जिसको नक्शाट्रेस में लालस्याही से दर्शाया गया है।

4—उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त न्यूनतम दूरी के रास्ते का विकल्प नहीं है।

5— उक्त प्रस्तावित रास्ते मे कोई चाह / दूयूबवेल / निर्माण आदि नहीं है।

6— प्रस्तावित रास्ते के प्रतिकर की गणना तहसील राजस्व लेखाकार से करवाई जाकर संलग्न है।

प्रकरण मे प्राप्त रिपोर्ट के साथ रास्ते की डीएलसी अनुसार गणना राशि की रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है। रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत काटून्दा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंवलहेडा प0ह0 आंवलहेडा भू.अ.नि. वृत काटून्दा की बिलानाम आराजीसंख्या 92 मे से 78.75 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्तावित भूमि का मूल्य (डी.एल.सी) — 3868000 / —

डी.एल.सी.का दुगना — 3868000गुणा 2 यानि— 7736000 / —

देयराशि — 7736000 / 10000गुणा 79 यानि 60930 / —

उपरोक्तानुसार 60930 / — रूपये जमा राजकोष होना उचित है।

इस प्रकार पत्रावली में प्राप्त रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट एवं रास्ते हेतु राजकोष में जमा किये जाने वाली राशि जो कि डी एल सी दर के अनुसार तहसील राजस्व लेखाकर द्वारा प्रस्तुत की गई है पर प्रार्थी को सुना गया, प्रार्थी उक्त राशि को जमा कराने के लिए सहमत हुए। चूँकि प्रार्थी के वर्णित कृषि आराजी पर पहूँच के लिए एक मात्र यही वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थी की कृषि आराजीयात पर आने जाने हेतु ग्राम आंवलहेडा की बिलानाम सरकार भूमि आराजी संख्या 92 मे से 78.75 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने व नक्शे में दर्ज किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी शांतिलाल पुत्र देवीलाल धाकड निवासी आंवलहेडा के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा आंवलहेडा प.ह. आंवलहेडा की आराजी संख्या 1834 / 1619 एवं आराजी संख्या 1835 / 1619 किता— 2 रकबा 0.6160 हैक्टर भूमि पर आने जाने हेतु एवं पहूँच हेतु ग्राम आंवलहेडा की आराजी संख्या 92 किस्म ढण्ड बिलानाम रकबा 0.3240 हैक्टर मे से रकबा 78.75 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा रास्ता के लिए देय राशि कुल 60930 / — रूपये राजकोष में जमा कराने पर ग्राम आंवलहेडा की आराजी संख्या 92 किस्म ढण्ड बिलानाम रकबा 0.3240 हैक्टर मे से रास्ते के लिए रकबा 78.75 वर्गमीटर भूमि को राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शाट्रे में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जावें।

आदेश आज दिनाक 20.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] बेगूं

दिनाक — 23.6.25

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 471

[illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए आर.टी.एक्ट मे जारी प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2025 [illegible] आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)